

21.02.2022

पत्रावली के अंतर्गत मपीलार अधिवक्ता (अ.ग.)

मपीलार अधिवक्ता के पत्रावली पर

बहक करते हुए निवेदन किया कि

मधीनस्थ न्यायालय द्वारा मपीलार

को सुनवाई का समुचित अवसर

Dansu
9/2

नहीं दिया गया। मूल वाद मधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष विचारणीय है

वाद के विचारण में रहे मौके एवं

रिकॉर्ड में परिलक्षित होता है कि वर्ष

ही मुकदमेबाजी होगी। वाद के विचारण

में रहे है मौके के मपीलार को


निवेदन किया जाता है कि मपीलार

को समुचित सुनवाई कराए जाएगी।

माहला, प्रथम इष्टया एवं सुविधा

का समुचित मपीलार के पक्ष में है

महः मपीलार लीवाए फलदाई पावे।


राजस्थान जिला अधिवक्ता
बाइमेर

मपीलांट मधील वकील जी जत्रावली पर २००५ म
 बंद ल सुनी गई रेखा. के नाम रजिस्टर्ड
 सामग्री निजामे लावपुद रचना मनुपलिते
 मूल दावा मधील न्यायालय के सामग्री
 विनायधीन है। उभयपक्षवालय के हिसा
 का निश्चिण मूल वाद के निष्पत्ति पर
 ही लेभाब हो वाद के विचारण में रहे
 मपीलाधीन माली को खुद-खुद किया
 जाता है जो जल ही मुकदमेवाली रहेगी।
 वाद के विचारण में रहे मपीलांट को
 मोठे के लेद बल किया जाता है जो
 मपीलांट को मूखीय हिसा काटि होम
 लेभाब हो सामग्री उभय दृष्टया एवं मुबिधा
 का संतुलन मपीलांट के जल में हो मत.
 उपरोक्त विवेक एवं तल्लों के मालोठ
 में मपीलांट की मपीलाधीन की जारी है
 तथा मधील न्यायालय दावा पाटि
 मपीलाधीन मादेय दिनांक 30.07.2021 को
 मपा लत किया जाकर मधील न्यायालय
 दावा पाटि मादेय दिनांक 22.01.2021 को
 ताकेसला वाद कंपनरी किया जाता हो मधील न्या
 यालय को निश्चित किया जाता है कि उभयपक्षवालय
 को सुनकर मूल वाद का दो माह में निष्पत्ति
 को मधील न्यायालय का मपीलेख मम निर्णय
 प्रति लोटाया जावे मादेय करे दपलाय हुताया
 गया।

राजल जाल अधिकारी
 बाइमेर